

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान परनीत कौर बनाम अवतार सिंह आदि

प्रकरण संख्या 55 / 2022 अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुई
27 ⁰¹ / ₂₅	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA नोटिस किया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगति लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर हो</p>	

Noted
अनवान कौर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर